

ऑनलाइन रहेगी पुलिस...
टेबलेट थाम कर चलेंगे
हवलदार-दरोगा, डिजिटल
होगी केस डायरी

भोपाल/मंदसौर, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। पुलिस के कामकाज को डिजिटल करने का प्लान अब कारगर होता दिख रहा है। यह योजना कई साल पहले बनी थी कि हवलदार, दरोगा अब कागजों पर विवेचना का लेखा जोखा नहीं करेंगे। बल्कि टेबलेट पर अपराधों का ब्योरा दर्ज कराएंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से जिला स्तर पर थानों में टेबलेट भी भेजे गए। लेकिन, इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। अब डीजीपी कैलाश मकवाना ने डिजिटल विवेचना के बारे में पूछा है तो बक्स में बंद टेबलेट बाहर निकाले गए हैं। विवेचकों (हवलदार से लेकर निरीक्षक) की क्लास लगाकर उन्हें टेबलेट के इस्तेमाल और इन पर लिखा पढ़ी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। निर्देशों के बाद मंदसौर में भी अधिकारी हरकत में आए। समय-समय पर प्रशिक्षण और टेबलेट के बारे में कर्मचारियों को क्लास लगाकर बताया भी जा रहा है।

पारदर्शिता के लिए बदलाव...
अक्सर विवेचकों पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने मौके पर जाकर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाने की बजाए थाने में बैठकर ही कागजों पर खाका खींचा है। इसके अलावा बदमाशों की गिरफ्तारी में हथियार की बरामदगी पर भी सवाल उठते हैं। अब ई-विवेचना में पूरा घटनाक्रम टेबलेट के कैमरे की नजर में होगा तो आरोप-प्रत्यारोप की गुजाइश नहीं होगी।

इस तरह होगी ई-विवेचना...
पुराने ढर्रे पर विवेचना का तरीका बदलने की कवायद में पुलिसकर्मियों को सिखाया जा रहा है कि इन्वेस्टीगेशन का लेखा जोखा (केस डायरी) अब कागजों पर टेबलेट पर दर्ज होगा। इसलिए विवेचक (इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर) अपने बस्ते में टेबलेट रखेंगे। घटनास्थल पर पहुंचकर नक्शा मौका कागज पर नहीं खींचा जाएगा, बल्कि टेबलेट में मौके (जहां घटना हुई है) का फोटो खींचेंगे। इसी तरह अपराधी की गिरफ्तारी में भी टेबलेट का इस्तेमाल होगा। इस दौरान अपराधी की गिरफ्तारी और उससे मिले हथियार का लाइव वीडियो बनाया जाएगा। उसका ब्योरा टेबलेट में टाइप कर दर्ज करना होगा। टाइपिंग में दिक्कत आती है तो विवेचक बोलकर टाइप (वॉयस टाइपिंग) ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे।

इधर विलक उधर रेकार्ड होगा ब्योरा...
ई-विवेचना में पुलिसकर्मों जो लेखा जोखा, फोटो और वीडियो टेबलेट पर दर्ज करेंगे वह विलक होते ही पुलिस के सीसीटीएनएस के जरिए रेकार्ड में दर्ज होगा। अनेकालत में सुनवाई के दौरान विवेचक टेबलेट के जरिए ही केस डायरी और उसमें दर्ज सबूतों को पेश करेंगे।



दिन ढलने के साथ बदल रहा मौसम

रोज कहीं बारिश तो कहीं बूंदबांदी का दौर

मंदसौर, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। मई माह में जैसे गर्मी फुर्र हो गई हो, शुरुआती तीन दिन लपने के बाद 04 मई से मौसम में बदलाव के चलते बादल छाये रहे। जले में कहीं न कहीं 08 मई की शाम से हर दिन दोपहर बाद बे-मौसम बारिश की बौछार तबतबर कर रही हैं। वैसे 03 मई के बाद पुनः दिन का पारा रविवार को 40 डिग्री पार पहुंचा है।

उंपर की टक्कर से बाइक चालक की मौत

सुवासरा, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। उंपर की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई। सुवासरा पुलिस के अनुसार मामला श्मशान घाट के आगे ग्राम चौमहला रोड का है। अजयपुर निवासी विजेश धाकड़ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उंपर क्रमांक आरजे-27-जीबी-6638 के अज्ञात चालक ने वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर भेरुसिंह चंद्रावत की बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में गंभीर घायल भेरुसिंह की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर उंपर वाहन रजिस्ट्रेशन आधार पर जप्त कर जांच शुरु की है।

पहले साल सर्टिफिकेट, दूसरे में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री मिलेगी

भोपाल/मंदसौर, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस शैक्षणिक सत्र से कोर्सों में बहु प्रवेश और निकास प्रणाली लागू की है।

विद्यार्थी की अब कॉलेज की पढ़ाई बीच में छूटने पर साल बर्बाद नहीं होगा। वे फिर से अगली कक्षा की पढ़ाई कर सकेंगे। नए नियम के बाद विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई रोक या शुरू कर सकेंगे। लेकिन, इसके लिए उन्हें पर्याप्त क्रेडिट हासिल करने होंगे। निकास प्रणाली के तहत विद्यार्थी को एक साल में 40 क्रेडिट पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट, 70 क्रेडिट के बाद डिप्लोमा, 100 क्रेडिट के बाद रिसर्च के साथ ऑनर्स डिग्री और 120 क्रेडिट के

बाद सामान्य डिग्री दी जाएगी। यदि छात्र उतने क्रेडिट हासिल नहीं करता है तो पूर्व की तरह 12वीं पास ही माना जाएगा। इसमें एक क्रेडिट का अर्थ लगभग 15-18 घंटे की कक्षा का अध्ययन समय है। हर कोर्स या सबजेक्ट के लिए कुछ निश्चित क्रेडिट्स निर्धारित किए हैं। जैसे-जैसे विद्यार्थी कोर्स करते जाएंगे, उनके क्रेडिट्स उस कोर्स के अनुसार एबीसी अकार्डेंट में जोड़ दिए जाएंगे। यदि विद्यार्थी किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है तो उनके अर्जित क्रेडिट 5 से 7 साल तक सुरक्षित रहेंगे छात्र भविष्य में

मैट्रिकल कॉलेज पहुंचे घटना में टीआई को चेहरे पर, पत्नी व बच्चों के सिर में चोट आई है। क्रेन के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त कार को एक्सप्रेस वे से हटाया गया। परिवार में विवाह समारोह में शामिल होने पर रहे थे टीआई-जानकारी के अनुसार टीआई अर्जुन सेमलिया अपनी कार से झाबुआ जिले के थांदला अपने गांव जाने के लिए निकले थे। परिवार में शादी होने पर वह छुट्टी लेकर जा रहे थे। रविवार शाम को मौसम में बदलाव व बूंदबांदी के कारण एक्सप्रेस-वे पर सड़क गिली होने से कार का ब्रेलेंस बिगड़ने से असंतुलित हो गई। डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गई। यहां से परिजन उन्हें इंदौर लेकर गए हैं। थाने के भी पुलिसकर्मी साथ में इंदौर गए हैं।

बात आपकी, शब्द हमारे

गुरु एक्सप्रेस

सुबह का अग्रवार्

संपादक – आशुतोष नवाल

वर्ष 19 अंक 214 पृष्ठ 4 मन्दसौर मंगलवार 20 मई 2025 मूल्य 2 रुपया

मामला- मप्र-राजस्थान को जोड़ने वाले चौमहला पुल का

छह साल में सिर्फ मंजूरी... काम नहीं हुआ शुरु..!

बारिश बाद ही शुरु हो पाएगा निर्माण, अभी झेलना होगी परेशानी



मंदसौर, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। सीतामऊ-सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में मप्र-राजस्थान को जोड़ने वाला ब्रिज 2019 की बाढ़ का शिकार हुआ। उसके बाद कितने ही अधिकारी और जनप्रतिनिधि मप्र और राजस्थान की सरकार में ब्रिज देख चुका है। लेकिन, छह साल से ब्रिज अपने निर्माण का इंजागर कर रहा है। चुनावों में भी ब्रिज बड़ा मुद्दा रहा। हालांकि, प्रदेश सरकार के बजट में 18 करोड़ की मंजूरी भी मिली। लेकिन, काम अब तक शुरु नहीं हो पाया। यह तय है कि बारिश बाद ही यहां काम की शुरुआत होगी। उसके बाद काम कब पूरा होगा, यह नहीं कहा जा

सकता। मतलब साफ है कि अभी लोगों की परेशानी कम नहीं होगी।
टैंडरों में ही उलझा रहा ब्रिज...
दो राज्यों की सरकार, सुवासरा-सीतामऊ विस में तत्कालीन मंत्री तक इस ब्रिज का निर्माण नहीं करा पाए। टैंडरों में ही ब्रिज लंबे समय तक उलझता नजर आया। विभाग को 06 बार इसके लिए

इंदौर की कंपनी को करना है निर्माण...
धतुरिया पुल के निर्माण के लिए कंपनी द्वारा मिट्टी परीक्षण किया गया है। पुल की मंजूरी के बाद पांच बार टैंडर में कोई कंपनी आगे नहीं आई। इसके बाद छठी बार में टैंडर हुआ और मिट्टी परीक्षण हुआ। बारिश के बाद चंबल का पानी कम होने पर निर्माण शुरु होगा। हालांकि,

अभी इसके लिए डिजाइन का इंतजार है। इसमें भी लंबा समय बीत गया। डिजाइन आने के बाद ही इस पर काम शुरु होगा। इस बार 14 पिलर का पुल बनाया जाएगा। इसमें 20 मीटर उंचाई के 4 व 25 मीटर उंचाई के 10 पिलर बनेंगे। साथ ही पुल की लंबाई भी 228 मीटर से बढ़ाकर 330 मीटर रहेगी। पहले हाई रिवर पुल था जो बहाव में बह सकता था। इस बार समर रिवर पुल का निर्माण होगा। यह तेज बहाव में भी नहीं बहेगा। इसी के साथ नदी तले से उंचाई भी बढ़ेगी।
50 से 60 किमी घूमना पड़ रहा, स्टीमर एकमात्र सहारा...
ब्रिज के बहने के बाद ग्राम दीपाखेड़ा, दलावदा, ढंडेरा, साताखेड़ी, लडुना आदि गांव में व्यापार-व्यवसाय प्रभावित हुआ है। अभी मंदसौर-

ब्रिज पर एक नजर...

- * 2008 में बना था बाढ़ में बहा ब्रिज।
- * 3.50 करोड़ लागत थी उस दौरान।
- * 2019 सितंबर में बाढ़ के दौरान बह गया।
- * 330 मीटर लंबा ब्रिज बनना है।
- * 12 मीटर चौड़ाई रहेगी ब्रिज की।
- * 2020 फरवरी में विभाग ने भेजा था प्रस्ताव।
- * 19 करोड़ का प्रस्ताव सेतु विकास विभाग ने नए ब्रिज के लिए शासन को भेजा।
- * दोनों राज्यों को जोड़ना नया ब्रिज।

सीतामऊ से चौमहला जाना है तो सुवासरा या आलोट होकर जाना पड़ता है। इससे 50 से 60 किमी का अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। इससे समय व धन की बर्बादी हो रही है। इसके अलावा वर्तमान में नदी तटों के गांवों को जोड़ने का स्टीमर ही एक मात्र सहारा है। इसमें दो पहिया वाहन की चढ़ाए जाते हैं। यात्री भी बड़ी संया में इसमें सफर कर रहे हैं। जोखिम के बीच हर दिन ग्रामीण पुलिसिया के अभाव में चंबल नदी स्टीमर से पार कर रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ व मंदसौर जिले का सीधा कनेक्शन हो जाएगा। पुलिसिया के अभाव में दोनों राज्यों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। पुल-टूटने के चलते वर्ष 2019 से ही वाहन चालकों व ग्रामीणों को चौमहला तक जाने के लिए 60 किलोमीटर का चक्कर सुवासरा होकर लगाना पड़ रहा है। पुल बनने से ये दूरी भी कम हो जाएगी।

दिल्ली से तय होंगे मप्र कांग्रेस के जिलाध्यक्ष

* ऑब्जर्वर लिस्ट तैयार, नियुवित में लगेगा दो महीने का समय * दिल्ली में हर दावेदार से बात कर नाम फाइनल होगा

भोपाल, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। मप्र कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अब दिल्ली से तय होंगे। प्रदेश में पांच खाली जिलों समेत बाकी जिलों में भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) द्वारा नाम तय होंगे। जिला अध्यक्ष का फैलन बनाने के लिए केंद्र और राज्य की तरफ से दो-दो ऑब्जर्वर की टीम बनाकर



14 घंटे बाद तालाब से मिला युवक का शव नाव पलटने से छह लोग डूबे थे, पांच लोगों ने तैरकर बचा ली थी जान

मनासा, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। रामपुरा में रविवार शाम नाव पलटने के दौरान लापता हुए 35 वर्षीय कन्हैयालाल ग्वाला का शव सोमवार को मिल गया। इससे पहले रविवार को पलटी नाव में छह लोग सवार थे। इनमें से पांच लोग तैरकर बाहर निकल आए थे। लेकिन

जिलों में भेजी जाएगी। इसके लिए 68 ऑब्जर्वर के नाम एआईसीसी और 68 ऑब्जर्वर के नाम मप्र कांग्रेस कमेटी की तरफ से तय कर दिए गए हैं। प्रदेश की ऑब्जर्वर टीम में सभी विधायक और पीसीसी के पदाधिकारी शामिल हैं। अगले एक सप्ताह में प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। यह टीम सभी जिलों में जाकर फैलन तैयार करेगी। दिल्ली

कन्हैयालाल का पता नहीं चला था। पुलिस, एसडीआईआरएफ और नगर परिषद की टीम ने रविवार रात करीब 03 घंटे तक तलाश अभियान चलाया था। लेकिन, उस समय कन्हैयालाल का पता नहीं चल पाया। रात में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे एक व्यक्ति ने तालाब में शव को देखा। उसने तुरंत नगर परिषद को सूचित किया। टीम लकड़ी की मदद से शव को किनारे तक लाई। शव को मनासा के सरकारी अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी है।

अतिथि शिक्षकों को हटाने का फैसला निरस्त

इंदौर, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। अतिथि शिक्षकों को लेकर आए दिन नई खबरें सामने आ रही हैं। अब हाईकोर्ट की फैलन पीठ ने उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें पॉलिटेक्निकल के अतिथि शिक्षक को हटाया गया था। कोर्ट ने कहा कि 2021 के नियम के तहत पुराने शिक्षकों को नहीं हटाया जा सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता... **शेष 4 पर**

परेशान नहीं होगी। एक बार कॉलेज में प्रवेश के बाद एक साल पढ़ाई पूरी करने पर डिप्लोमा, दूसरे साल में सर्टिफिकेट और तीसरे साल में डिग्री दी जाएगी। इसका कारण यह है कि यदि बीच में किसी भी कारण से विद्यार्थी की पढ़ाई छूट जाती है तो पढ़ा हुआ सिलेबस और समय खराब ना हो। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च पाठ्यक्रम में वहीं विद्यार्थी प्रवेश लें जो इस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं। इससे मनपंसद विषय में रिसर्च करने में आसानी होगी।

भाजयुमो मंडल अध्यक्ष हत्या

के आरोप में गिरफ्तार

मनासा, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। समीपस्थ जवासा गांव के भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भादवामाता पुखराज सिंह उर्फ गुड्डुसिंह उम्र 37 साल को राजस्थान पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह कुछ दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे जवासा गांव में दबिश देकर पकड़ा। पुलिस के मुताबिक पुखराज पर ननिहाल पक्ष के योगेंद्र सिंह की हत्या का आरोप है। वह ग्राम नागदेड़ा थाना अरनोद जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला था। 14 मई को दोपहर 12 बजे के करीब योगेंद्र सिंह अपने कुर से लौट रहा था। तभी पुखराज सिंह, दीपेंद्र सिंह, संजय सिंह और अन्य साधियों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामले में राजस्थान की प्रतापगढ़ पुलिस ने मनासा के समीपस्थ जवासा में दबिश देकर पुखराज को गिरफ्तार किया। उसकी मां पर भी पश्चात्र में शामिल होने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस अन्य सह अभियुक्तों की तलाश कर रही है। मामले में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं।

न्यायालय बिक्री अधिकारी/वसूली अधिकारी एवं अतिरिक्त तहसीलदार सहकारी संस्थाएं, मंदसौर		
*** अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं नीलामी की सूचना ***		
स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित मंदसौर-जय पत्र धारी विरूद्ध		
चुकि (1) मेसर्स लिजेंड इंडिया सड्पोर्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड उरवेटर:- (1) श्री मनीष पिता शैतानमलजी जैन (2) श्री संदीप पिता शैतानमल जी जैन (3) श्री विनोद पिता शैतानमलजी जैन (4) श्रीमती शैला पति विनोद जी जैन (5) श्रीमती इन्दु पति मनीष जी जैन (6) श्रीमती सरिता पति संदीपजी जैन (2) श्रीमती गुणमाला पति शैतानमलजी जैन (विधिक उत्तराधिकारी) (1) श्री मनीष जी जैन (2) श्री संदीप जी जैन (3) श्री विनोद जी जैन निर्णित ऋणी (3) श्री गुरजित सिंह टुटेजा पिता धरणजीत सिंहजी टुटेजा जमानतदार (4) श्री सुशील पिता राजमलजी जैन जमानतदार निवास स्थान- नूरकालोनी, वार्ड नं. 3, प्रमुख विहार से लगत, मंदसौर (म.प्र.) निर्णित-ऋणी केविरूद्ध न्यायालय संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा विवाद मामला क्र.-जेआर/यूजेएन/84(ए)/2022-23/0800 में स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, मंदसौर डिग्रीधारी के पक्ष में डिग्री दी जा चुकी है, तथा निर्णित ऋणी ने स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, मंदसौर डिग्रीधारी को राशि रु 26586128.22/- व ब्याज व मुकदमा खर्च का भुगतान नहीं किया है। अतएव इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित अचल सम्पत्ति उपर्युक्त डिग्री के भुगतान के लिये कुर्क कर ली गई है और यह कि निर्णित ऋणी को इस के द्वाराउक्त सम्पत्ति को बिक्री,उपहार या दान द्वारा या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने या बदलने से रोक दिया गया है। इसकी सुचना निर्णित ऋणी तथा जमानतदारों को व्यक्तिश:तथा रजिस्टर्ड पत्र भेजी गई थी। जिसकी वेब ए.डी. प्राप्त है। अतएव कुर्क की गई निम्नानुसारअचल सम्पत्ति की नीलामी दिनांक 19.06.2025 को की जावेगी।		
नीलामी दिनांक- 19 जुन 2025 गुरुवार समय प्रातः 11.00 बजे		
क्रं.	नाम ऋणी	सम्पत्ति के ब्योरा
1.	श्री मनीष पिता शैतानमल जी जैन	1) नगर पालिका मकान नं. 4 के मुखण्ड का भाग, नूर कालोनी, वार्ड नं. 3, प्रमुख विहार से लगत,मंदसौर क्षेत्रफल: 2983.75 वर्गफिट
2.	श्री संदीप पिता शैतानमल जी जैन	(2) नगर पालिका मकान नं. 4 के मुखण्ड का भाग,नूर कालोनी, वार्ड नं. 3,
3.	श्री विनोद पिता शैतानमल जी जैन	प्रमुख विहार से लगत,मंदसौर क्षेत्रफल: 2983.75 वर्गफिट
4.	श्रीमती शैला पति विनोदजी जैन	3) नगर पालिका मकान नं. 4 के मुखण्ड काभाग, नूर कालोनी, वार्ड नं. 3,
5.	श्रीमती इन्दु पति मनीष जी जैन	प्रमुख विहार से लगत,मंदसौर क्षेत्रफल: 2857.50 वर्गफिट
6.	श्रीमती सरिता पति संदीप जी जैन	4) नगरपालिका मकान नं. 4 के मुखण्ड का भाग, नूरकालोनी, वार्ड नं. 3,
7.	श्रीमती गुणमाला पति शैतानमल जी जैन	प्रमुख विहार से लगत,मंदसौर क्षेत्रफल: 1793 वर्गफिट
प्रकरण क्रमांक		एमडीएस (85) - 08 - 2023/24
बोलीदार को बोली लगाने के पूर्व रु. 10,000/- रु. दस हजार मात्र विक्रय अधिकारी के पास जमा कराना आवश्यक होगा। खरीददार को नीलामी में विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्ति के मूल्य के 25 प्रतिशत धन उसी समय विक्रय अधिकारी को चुकाया जावेगा। खरीददार द्वारा शेष क्रय धन तथा विक्रय प्रमाण-पत्र हेतु अपेक्षित धन का भुगतान विक्रय दिनांक से 15 दिन के भीतर किया जावेगा। नीलामी मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 66 के अनुसार सम्पन्न की जावेगी। नीलामी की शेष अन्य शर्तें बैंक, 13-14 स्टेशन रोड, प्रधान कार्यालय से प्राप्त की जा सकेंगी।		
दिनांक. 19.05.2025		बिक्री अधिकारी स्मृति नागरिक सह. बैंक मर्यादित, मन्दसौर (म.प्र.)

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सिसौदिया ने डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में एक वर्ष में स्टार्ट-अप में वृद्धि को लेकर दी प्रतिक्रिया

र (खनिज शाखा) जिला मंदसौर म.प्र.

E-Mail-modgmman@mp.gov.in

मंदसौर, दिनांक-14.05.2025

96 के नियम, 18(1-क) के अंतर्गत उत्खननपट्टा प्राप्त करने के लिए

/// प्रथम सूचना ///

स्टोन क्रेशर, गुर्जरबर्डिया, तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर द्वारा केशर मणन लणकर गिट्टी बनाने का काम हेतु निम्न क्षेत्र पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 07.05.2025 को प्रस्तुत किया गया है।

थत उत्खननपट्टा आवेदन आन लाईन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ई-खनिज पोर्टल <https://www.mppr.gov.in>

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

रकबा	भूमि का प्रकार (शासकीय/निजी)	खनिज का नाम	रिमार्क
2.000 है.	शासकीय	गिट्टी पत्थर, एम.सेड एवं मुस्र (क्रेशर आधारित)	---

मैं आवेदन निम्न क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञापित प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन का कार्यालयीन समय में अन्य 5.30 बजे तक आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। 2. यदि भी अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों को आवेदन प्राप्त होते है, तो प्रथम गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन विज्ञापित में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हेतु निर्धारित तब विज्ञापित प्रकाशित की जाएगी। उपरोक्त अतिथि में प्राप्त आवेदन पत्र एवं पूर्व प्रकाशित प्रमाण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन द्वितीय प्रकाशित विज्ञापित के उपरान्त भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं नि रियायत स्वीकृति पत्र विचार किया जा सकेगा। 5. निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन

प्रभारी अधिकारी

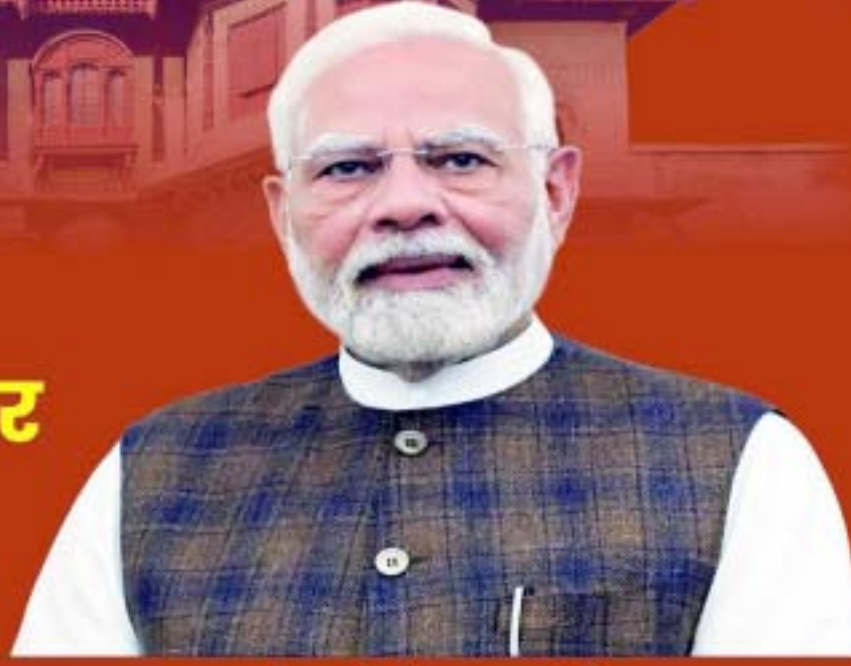
तो कयों करें यातायात नियमों से खेल । खनिज शाखा जिला मंदसौर म.प्र.



विरासत से विकास



300वीं जन्म जयंती पर
लोकमाता अहिल्याबाई होलकर
को कृतज्ञतापूर्ण नमन



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

लोकमाता अहिल्याबाई
के मूल्यों एवं आदर्शों को समर्पित
राजवाड़ा, इंदौर में
मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद बैठक
का आयोजन

विकसित मध्यप्रदेश @2047
विज्ञान डॉक्यूमेंट पर मंथन

अध्यक्षता

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

20 मई, 2025 | पूर्वाह्न 11:00 बजे

शून्य उत्पादन पर भी जमा कराना होगा रिटर्न

धारा-32 में होगी फूड लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई

मंदसौर, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। लाइसेंसधारी फूड कारोबारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक रिटर्न 31 मई तक दाखिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 01 जून से उनकी जेब पर 100 रुपए रोज का फटाक लगेगा। अगर पिछले वर्ष उत्पादन शून्य है तो भी रिटर्न जमा करना होगा, नहीं तो धारा- 32 में लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई होगी। लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारी को खाद्य निर्माता, आयातक और निरमाता-निर्यातक हैं उन्हें अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करना है। सभी लाइसेंसधारी कारोबारी

एफएसएसआईआई के फोसकॉस पोर्टल के जरिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
ऐसे करें वार्षिक रिटर्न दाखिल-
*** चरण-1-** फॉसकोस पोर्टल पर लॉगिन करें।
*** चरण 2-** बाएं मेनु में जाएं, वार्षिक रिटर्न भरें।
यहां से ले सकते हैं जानकारी-
फॉसकोस पोर्टल- * एफएसएसआईआई हेल्पलाइन पर कॉल करें * हेल्पडेस्क फॉर् स क। स. एफ ए एस ए ए आई . जीओवी.इन * लाइसेंस धारी खाद्य कारोबारियों को जमा करना होगा रिटर्न।
ध्यान रखने योग्य बातें- *

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अगर उत्पादन नहीं हुआ है तो भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। * लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो या वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सरेंडर कर दिया गया हो, तब भी रिटर्न भरना आवश्यक है। * 31 मार्च 25 से पहले नया लाइसेंस प्राप्त हुआ है, तब भी रिटर्न भरना आवश्यक है। * पुनः पैकिंग या लेबलिंग करने वाले व्यवसायियों को भी वार्षिक रिटर्न भरना होगा। * 31 मई अंतिम तिथि, एक जून से 100 रुपए रोज का लगेगा फटाका

कार-बाइक की टक्कर में

युवक गंभीर घायल

नीमच, 19 मई गुरु एक्सप्रेस।

जिले के ग्राम कराड़िया महाराज मोड़ पर रविवार दोपहर बाइक-कार की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का आगे का बंपर टूट गया।

बड़े अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार आबिद पिता उस्मान मंसूरी 33 वर्ष निवासी जीरन बाइक से छोटी साइडी गया था। लौटते समय कराड़िया महाराज मोड़ पर सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई। हादसे में आबिद गंभीर रूप से घायल हुआ। कार ड्राइवर ने उसे तुरंत बड़े अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद परिजन आबिद को नीमच के एक निजी अस्पताल ले गए।

पेरसितामोल ड्रॉप, मल्टीविटामिन

सहित 6 दवाएं इस साल मिली अमानक

भोपाल, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। मेडिकल कॉलेज से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र तक प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रोगियों की दी जाने वाली छह दवाएं इस वर्ष गुणवत्ता परीक्षण में फेल पाई गई हैं। इनमें बच्चों के लिए उपयोग होने वाली पैरासिटामोल ड्रॉप, विटामिन-सी, मल्टीविटामिन आदि दवाएं शामिल हैं। अस्पतालों से विभिन्न लैब में भेजे गए सैंपलों की जांच में ये दवाएं गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुई हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सप्लाय कारपोरेशन ने

कांग्रेस नेता से मारपीट के

मामले में अज्ञात आरोपियों

पर प्रकरण दर्ज

पिपलियामंडी, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। संजीत ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष ईश्वर धाकड़ से हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार सेना को लेकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा द्वारा की गई कथित टिप्पणी को लेकर 17 मई को कांग्रेस ने प्रदेशभर में पुतला दहन का आयोजन किया था। बूढ़ा में संजीत ब्लाक कांग्रेस ने भी पुतला दहन कार्यक्रम के पहले ही भाजपा-कांग्रेस कार्यक्रमों आमने-सामने हो गए थे। इस दौरान ब्लाक अध्यक्ष ईश्वर धाकड़ से साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी व कपड़े फाट दिए थे। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अस्पताल में भर्ती ईश्वर धाकड़ से वीडियो काल कर बात की थी। नारायणगढ़ टीआई अनिल रघुवंशी ने बताया कि ईश्वर धाकड़ से मारपीट के मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी की संख्या भी अज्ञात है।

इन दवाओं के उपयोग पर रोक लगाने के साथ ही संबंधित कंपनियों को भी निर्धारित अवधि तक आपूर्ति के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। मई में तीन दवाएं अमानक पाई गई हैं।

इनमें मिर्गि के उपचार में उपयोग होने वाली टैबलेट लैवेसेटम 500 एमजी, विटामिन- सी और मल्टीविटामिन की टैबलेट हैं। इसके पहले आईवी प्लूड भी अमानक मिला था। बड़ी बात यह है कि इन दवाओं की आपूर्ति के साथ कंपनियां अपनी लैब के साथ ही राज्य सरकार द्वारा चिह्नित थर्ड पार्टी लैब से भी सभी दवाओं के प्रत्येक बैच के सैंपल की गुणवत्तायुक्त जांच रिपोर्ट भेजती हैं। इस जांच रिपोर्ट के

आबकारी अधिकारी व शराब ठेका कर्मचारियों

के विवाद के मामले में दुकान मालिक,

सेल्समेन व मैनेजर पर प्रकरण दर्ज

पिपलियामंडी, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। नगर में चौपाटी स्थित शराब दुकान पर जिला आबकारी अधिकारी व शराब ठेका कर्मचारियों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने मैनेजर, सेल्समेन व दुकान मालिक के खिलाफ बीएनएस सहित एससीएसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार रविवार को चौपाटी पर स्थित शराब दुकान पर जिला आबकारी अधिकारी बीएल डांगी टीम के साथ पहुंचे थो डांगी का कहना था कि हम निरीक्षण के लिए गए थे। जबकि शराब ठेके पर कार्यरत लोगों का आरोप था कि आबकारी अधिकारी 10 लाख रुपए रिश्त लेने आए थे। विवाद खड़ा तो दोनों पक्षों में एक-दूसरे के खिलाफ पिपलियामंडी पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी।

फायर एनओसी के लिए भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जरूरी,

स्वीकृत नक्शे के अलावा नहीं कर पाएंगे निर्माण

जबलपुर, 19 मई। मध्य प्रदेश में स्वीकृत नक्शे के विपरीत भवन निर्माण या मनमाने तरीके से भवनों का विस्तार करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने फायर सेफ्टी अनुमोदन और फायर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जारी करने से पहले भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र और अधिभोग अनुज्ञा को अनिवार्य कर दिया है।

इस संबंध में निकायों के भवन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद

ही फायर एनओसी दी जाए। नए नियमों का उद्देश्य अग्नि हादसों को रोकना और अवैध निर्माण पर अंकुश लगाना है। आयुक्त नगरीय प्रशासन सीबी चक्रवर्ती ने बताया कि इससे भवनों की सुरक्षा मजबूत होगी।

नए नियमों का दायरा- विभाग ने अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5,000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल या 15 मीटर से ऊंचे सभी भवनों को नए नियमों के दायरे में शामिल किया है। इसके अलावा, 50 बेड से अधिक वाले होटल और अस्पतालों को भी इस श्रेणी में रखा गया है। हर दो वर्ष में फायर एनओसी

लेना अनिवार्य है। पहले भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता नहीं होने से अवैध निर्माण बढ़ रहे थे। नए निर्देशों से इस पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद है।

अवैध निर्माण में लापरवाही- अधिकतर लोग स्वीकृत नक्शे के बाद नियम तोड़कर भवन निर्माण करते हैं। पहले पूर्णता प्रमाण-पत्र अनिवार्य नहीं होने से निकायों का दल निर्माण के बाद जांच नहीं करता था। इससे पाकिंग और अग्निशमन व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होती थी। कई संचालक पाकिंग क्षेत्र में दुकानें बना लेते थे या उसे किराए पर दे देते थे। अब पूर्णता प्रमाण-पत्र की

अनिवार्यता से ऐसी मनमानी पर रोक लगेगी, क्योंकि निकाय अधिकारी जांच के बाद ही प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।

भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया- 5,000 वर्गफीट से बड़े भवनों के लिए पूर्णता प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य है। निकाय की भवन शाखा निर्माण पूरा होने के बाद यह जांचती है कि भवन स्वीकृत नक्शे के अनुसार बना है या नहीं। इंजीनियरों की जांच के बाद ही प्रमाण-पत्र जारी होता है। हालांकि, ऐसे प्रमाण-पत्र लेने वाले भवन संचालकों की संख्या केवल 10 प्रतिशत के आसपास है।

निकायों की जवाबदेही- जबलपुर नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव ने बताया कि 5,000 वर्गफीट या 15 मीटर से ऊंचे भवनों के लिए फायर सेफ्टी के साथ पूर्णता प्रमाण-पत्र जमा करना अब अनिवार्य है। संचालनालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं।

एनएसयूआई ने की

नारेबाजी, दिया धरना

शामगाढ़, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। शासकीय महाविद्यालय में परीक्षा समय सारणी में बदलाव की सूचना नहीं दिए जाने का आरोप है। जिससे कुछ विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। वंचित विद्यार्थी इसे लेकर अब महाविद्यालय के चक्र काट रहे हैं। इधर एनएसयूआई ने इसमें महाविद्यालय प्रबंधन को लापरवाह बताया है। सोमवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शासकीय महाविद्यालय के गेट के बाहर बैठकर धरना दिया और नारेबाजी की।

SMRITI NAGRIK SAHAKARI BANK MYDT. MANDSAUR
REF. 13,14 Station Road, Mds/20277-428(1001)/2021/ Date: 19.05.2025

SALE NOTICE Latter No.

(Regd. Post with A/D

To,

- Mr. Kamlesh Bhati S/o Radheshyam Bhati (Borrower)
- Mrs. Sapna Bhati W/o kamlesh Bhati (Co- Borrower & Mortgager)
- Mr. Chandrashekhar Ahirwar S/o Jawarhlal Ahirwar (Guarantor)
- Mr. Roshanlal Sharma S/o Mohanlal Sharma (Guarantor)

Dear Sir,

Sub:

Sub: Notice for Sale under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

&Security Interest(Enforcement) Rules, 2002.

Whereas, The Authorised officer had taken possession of the below mentioned properties on...16-04-2025...as per Sec 13 (4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security Interest Act, 2002 (hereinafter called the Act) which has been offered as security by you towards your/borrower's liabilities amounting to Rs... Rs. 13,74,671/- (Rs. Thirteen Lakh Seventy Four Thousand Six Hundred Seventy One Only) as on...16-04-2025.

Whereas you have failed to satisfy your/borrower's liabilities to the bank even after receipt of notice under Section 13 (2) and section 13 (4) of the Act. Therefore the Bank in exercise of its rights granted under the Act and Rules, issues this notice under Rule 6 (2) (movables) and Rule 8 (6) (immovable) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, calling upon you to discharge in full liabilities amounting to Rs (in words) as on with further interest, costs and charges, within 30 days from the date of this notice, failing which, the bank shall proceed under the Act with the sale of the secured properties to realize the above stated out standings, with interest and costs.

DETAILS OF SALE

Date and time of Auction	20-06-2025
Reserve Price	20,47,000 /-
Earnest Money Deposit	Rs.10000/- to be Deposited with bank by D.D/P.O. (in favour of bank) before taking part in Bidding.
Place of Auction	SMRITI NAGRIK SAHAKARI BANK MARYADIT 13,14 STATION ROAD, MANDSAUR Pin Code – 458001

Description of immovable Property SCHEDULE OF PROPERTY
Place: Western part of Plot No. 405 Abhinandan Extension No .1 Vill: Tigriya Mandsaur, Dist. Mandsaur (M.P.)
BOUNDRY
On the East by :- House built on part of Plot No. 405
On the West by :- House built on part of Plot No. 406
On the North by :- Plot No. 384
On the South by :- Colony Road
MEASUREEMNT: - 500 Sq Ft/ 46.45 Sq. Mtrs
PROPERTY OWNED BY - Mrs. Sapna Bhati w/o Kamlesh Bhati (Co- borrower & Mortgager)
Place: Mandsaur Authorised Officer

SMRITI NAGRIK SAHAKARI BANK MYDT.

* उठावना *

अर्जुन झलोया के ज्येष्ठ प्राता, स्व. महेश और राजेश के पिताश्री, अशोक स्व.लोकेंद्र, स्व. सतीश, स्व. श्याम, के काकाजी, संजय के ताऊजी, आ शु. त. ष, पीयूष, अभिनव, गौरव, अंकित, भानुतोष, हार्दिक

के दादा जी और रायन के परदादाजी श्री भेरूलाल जी झलोया का स्वर्गवास दिनांक 18 मई 2025 रविवार को हुआ है जिनका उठावना दिनांक-21 मई 2025, वार -बुधवार समग्र-प्रातः 11:00 बजे, स्थान-निज निवास, बालाजी का बाड़ा, गांधी चौराहा मंदसौर पर रखा गया है।

शोककुल
समस्त झलोया परिवार

स्वत्वाधिकारी, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक आशुतोष नवाल के लिए गुरु मीडिया एण्ड इंटरटेनमेन्ट कम्पनी, शक्ति नगर मन्दसौर से मुद्रित एवं 77 लक्ष्मीनगर, वेदान्त विहार मन्दसौर से प्रकाशित। (हर प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र मन्दसौर रहेगा) संपादक- आशुतोष नवाल RNI-MPHIN2006/20356 समाचार पत्र में छपे विज्ञापनों के लिए समाचार पत्र उत्तरादायी नहीं है एवं विज्ञापनो में प्रकाशित विचार विज्ञापनदाता की निजी राय है। इससे समाचार पत्र का कोई संबंध नहीं है।

फोन 313880, मो. 9425105927, 28 ashugurumd@gmail.com, ashu_guru2@yahoo.co.in

मंदसौर, 19 मई गुरु एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान अब जन जन का अभियान बनता जा रहा है। जहाँ एक ओर नदी तालाब पोखरण सहित जल की महत्ता को लेकर अनेकों श्रमदान और जागरूकता कार्यक्रमकलेक्टर के निर्देश पर जन अभियान परिषद द्वारा ग्रामीण अंचलों सहित शहर में भी अनेकों जल संगोष्ठी जल शुद्धिकरण हेतु श्रमदान जैसे कार्य किए जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तर्पित नगर परिषद मल्हारगढ़ द्वारा वार्ड क्रमांक 08 में कुएं की सफाई करवायी गयी।मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद आर्थिक योजना एवं सांख्यिकी विभाग ब्लॉक मानपुरा

अतिथि शिक्षकों को...

पेज 1 से जारी

को फिर से कार्य पर रखने का आदेश दिया है। दरअसल ज्योति आर्या ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव समाधिया ने तर्क दिया कि ज्योति आर्या 20 जुलाई 2013 से अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य कर रही थी। लेकिन, 2021 में उन्हें हटा दिया गया। कहा गया कि फिर से भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना होगा। विभाग ने जो फैसला लिया है, वह गलत है। नए भर्ती के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। जब तक नियमित शिक्षक नहीं आता है, पुराने अतिथि शिक्षक को नहीं हटाना जा सकता है। उसकी जगह नया अतिथि शिक्षक नहीं ला सकते हैं।



कर्मभूमि सामाजिक सेवा समिति सांनडा द्वारा नाली को साफ किया गया नाली अवरुद्ध हो गई थी जिसे गंद पानी इकट्ठा हो रहा था जिसके कारण गंदगी फैल रही थी और मच्छर पैदा हो रहे थे साफ सफाई करके नाली को चालू की गई इसी कडी में गांव को साफ सुथरा बनाने के लिए सफाई करके सभी को समझाई दी गई की सभी अपने आपसा साफ सफाई रखें एवं जल को प्रदूषित होने से बचाए बरसात आने से पहले जल स्रोतों की साफ सफाई करने का संदेश दिया गया।

कार्यालय नगर परिषद सुवासरा जिला मन्दसौर (म.प्र.)

क्रमांक-1071/2025

सुवासरा दिनांक 07/05/2025

❖ षष्ठ दुकान आवंटन ऑनलाईन ऑफर आमंत्रण सूचना ❖

एल्ट द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद सुवासरा द्वारा वार्ड क्रमांक 03 में नया बर स्टैण्ड स्थित 13 दुकानों का आवंटन निम्नलिखित शर्तों एवं म.प्र. नगरपालिका (अबल संपत्ति अंतरण) नियम 2018 एवं संशोधित नियम दिनांक 12 मई 2021 के अंतर्गत सार्वजनिक निविदा द्वारा प्रियम्यम के उच्चतम ऑफर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को (राईट ऑफ आवस्युशन) के आधार पर 30 वर्ष की अवधि के लिये आवंटित किया जाता है। म.प्र. नगरपालिका (अबल संपत्ति अंतरण) नियम 2018 एवं संशोधित नियम दिनांक 28 मार्च 2023 के अंतर्गत वंशित प्रावधान अनुसार सक्षम स्वीकृती उपरत आगामी कार्यवाही की जावेगी। उक्त दुकानों हेतु आवेदन फार्म ऑनलाईन रु. 2000/- जमा कराये जाकर क्रय किये जा सकते हैं। निविदा प्रक्रिया में ही अर्थ (मैकेनिक, मांस, मछली, मदिरा विक्रेताओं को छोड़कर) दुकानवार भाग ले सकेंगे। आरक्षण में नियमानुसार प्रावधान किया गया है। विवरण निम्नानुसार है-

ऑनलाईन आफर क्रं.	दुकान क्रं.	प्रति दुकान आरक्षित मूल्य	अमानत राशि	आरक्षण वर्ग					
				अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.	अनारक्षित (महिला)	विकलांग	अनारक्षित
2025_UAD_422310_1	09	1200000/-	50000/-	--	---	--	24	--	09, 14, 15,
2025_UAD_422315_1	14	1200000/-	50000/-						18, 19, 26,
2025_UAD_422316_1	15	1200000/-	50000/-						27, 28, 32,
2025_UAD_422322_1	18	1200000/-	50000/-						33, 35, 37
2025_UAD_422333_1	19	1200000/-	50000/-						
2025_UAD_422335_1	24	1000000/-	50000/-						
2025_UAD_422343_1	26	1000000/-	50000/-						
2025_UAD_422374_1	27	1000000/-	50000/-						
2025_UAD_422378_1	28	1000000/-	50000/-						
2025_UAD_422385_1	32	1000000/-	50000/-						
2025_UAD_422390_1	33	1000000/-	50000/-						
2025_UAD_422397_1	35	1000000/-	50000/-						
2025_UAD_422399_1	37	1000000/-	50000/-						

नगर परिषद का कर प्रीप्रेशन विरया या अन्य बकायादार दुकान निविदा / नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे। दुकान की निविदा / नीलामी में अधिकतम बोली के बोलीदार को बोली राशि की 50 प्रतिशत राशि 21 दिवस के भीतर एवं शेष 50 प्रतिशत राशि 120 दिवस के भीतर सक्षम स्वीकृति उपरत अनुबंध पत्र के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। फायरमैशियल बिस् में अधिकतम प्रात बोली से ही नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ होगी एवं हर बोली का न्युनतम अंतर 10000/- रहेगा। अनुबंध का विधिवत पंजीयन उपरत ही दुकान का आधिपत्य सौंपा जावेगा। आरक्षित दुकानों के लिये संबंधित व्यक्ति के द्वारा सक्षम अतिरिक्त का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नीलामी से संबंधित सर्व एवं आशंकन तथा अन्य जानकारी नगर परिषद की राजस्व शाखा में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।

नोट- 1. इच्छुक व्यक्ति विस्तृत शर्त वेबसाईट http://mptenders.gov.in पर भी देख सकते है।
2. ऑनलाईन ऑफर क्रय एवं परस्त करने की अंतिम तिथि 30/05/2025 को सांय 17:30 बजे तक एवं ऑनलाईन नीलामी बोली की तिथि 02/06/2025 समय दोपहर 15:00 बजे से सांय 17:00 बजे के मध्य रहेगी।
3. यदि ऑफर में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो वह वेबसाईट पर ही प्रदर्शित होगा, जिसका अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं कराया जावेगा

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगर परिषद सुवासरा